सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 102 राँची ,शनिवार

2 फाल्गुन 1936 (श०)

21 फरवरी, 2015 (ई०)

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

18 फरवरी 2015

संख्या-02@निग0सह0&24@2012&403-- श्री रामनाथ प्रसाद दास] तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी] गोड्डा को निबंधक] सहयोग समितियाँ] झारखण्ड] राँची के आदेश की अवहेलना करने] सहकारी समितियों का अवक्रमण एवं प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में निर्गत विस्तृत मार्ग निदेश का स्वेच्छाचारिता एवं कदाचारिता के तहत उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से प्रजातांत्रिक तरीके से निर्वाचित समिति को निलंबित करने का गलत आदेश निर्गत करने तथा खाद्य] सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग] राँची के आदेश की अवहेलना करने आदि आरोपों के लिए Civil Services (Classification Control and appeal) Rules 1930 1930 के नियम 49(A)(1)(a) के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या 379 दिनांक 08 फरवरी, 2013 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए प्रथम द्रष्टया दोषी पाते हुए श्री दास के विरूद्ध झारखण्ड असैनिक सेवाएँ ¼वर्गीकरण] नियंत्रण एवं अपील½ रूल्स के नियम 55 के तहत विभगीय संकल्प संख्या 534 दिनांक 06 मार्च, 2013 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 413 दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 द्वारा उनके अभिलेख संख्या 07@2013 से जांच अधिगम आदेश फलक विभाग को उपलब्ध कराया गया] जिसमें श्री दास के विरूद्ध सभी आरोप प्रमाणित पाए गए । संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन@अधिगम की प्रति

प्रस्तावित दण्ड के साथ श्री कुमार को उपलब्ध कराते हुए उनसे विभागीय पत्रांक 3249 ¼अनु0½ दिनांक 24 सितम्बर, 2014 से द्वितीय कारण की मांग की गयी] जो उनके पत्रांक शून्य दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 से विभाग को प्राप्त है । श्री दास के विरूद्ध गठित आरोप] संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम एवं श्री दास से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा पर विभाग द्वारा सम्यक समीक्षोपरान्त श्री दास पर निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही को निस्तारित किया जाता हैः·

1· असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक ।

2· निदंन ।

साथ ही श्री दास को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है । झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 97 के आलोक में इनकी निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि नहीं माना जाएगा] किन्तु इस अवधि की गणन पेंशनादि लाभों के लिए की जाएगी ।

श्री दास को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से]

मनीषा जोसेफ तिग्गा,

सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गज़ट (असाधारण) 102—50+50 ।